State Health Resource Centre
R. No. 2584
Dt. 6/12/13
Kalibadi, Raipur

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं
छत्तीसगढ़

क्रमांक / /DHS/2013 रायपुर, दिनांक–......./......./2013

प्रति,

सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला – ....
छत्तीसगढ़।

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत महिला आरोग्य समितियों के अनटाइड फंड के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश।

संदर्भः–(1) मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन के दिशानिर्देश दिनांक 21.06.2012

(2) महिला आरोग्य समिति अनटाइड फंड हेतु जारी राशि दिनांक 03.08.2013

मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत महिला आरोग्य समितियों का गठन उपरांत प्रत्येक महिला आरोग्य समिति को शासन द्वारा वार्षिक 20,000 रू. अनटाइड फंड राशि जारी की जाती है जिसके प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश संलग्न हैं।

अतः संलग्न दिशानिर्देशों अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

//
संचालक,
संचालनालय,स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

क्रमांक / 63 /DHS/2013/ 227 रायपुर, दिनांक–02/12/2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, छ.ग. को सूचनार्थ।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. को सूचनार्थ।
4. राज्य नोडल अधिकारी (शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम), स्वास्थ्य सेवाएं, छ.ग. को सूचनार्थ।
5. कार्यकारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
6. कलेक्टर, जिला–.. छ.ग. को सूचनार्थ।
7. आयुक्त, नगर निगम – .... छ.ग. को सूचनार्थ।

संचालक
संचालनालय,स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

शहरी Pro file

महिला आरोग्य समितियों द्वारा अनाबंधित अनुदान राशि (अनटाइड फंड) के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश

अनटाइड फंड जारी करने की प्रक्रिया :-

प्रत्येक महिला आरोग्य समिति को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक 20,000 रू. की अनाबंधित राशि दिये जाने का प्रावधान है। संबंधित शहर की शहरी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा यह राशि महिला आरोग्य समितियों के बैंक खाते में जारी की जावेगी।

महिला आरोग्य समिति के पदाधिकारियों की भूमिका –

महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष का कार्य महिला आरोग्य समिति की मासिक बैठकों का आयोजन करना होगा। अध्यक्ष महिला आरोग्य समिति के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर बैठकों का कार्ययोजना बनाएंगे। अध्यक्ष समय–समय पर अनटाइड फंड से जुड़े रिकार्डो की निगरानी भी करेगा। अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष महिला आरोग्य समिति के खातों के संचालनकर्ता होंगे। अनटाइड फंड से जुडे रिकार्डो के रख–रखाव की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होगी। अनटाइड फंड का उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषाध्यक्ष द्वारा जारी किया जावेगा।

अनटाइड फंड किन गतिविधियों पर उपयोग किया जा सकता है :-

अनटाइड फंड स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले कार्यो के लिए समुदाय को दिया गया संसाधन है। इस राशि का उपयोग समिति द्वारा स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए किया जा सकता है जिससे समुदाय को लाभ मिलता हो। इसके अतिरिक्त इस राशि का उपयोग ऐसे परिवारों/व्यक्ति की सहायता के लिए किया जा सकता है जो कि निर्धन, जरूरतमंद अथवा बेसहारा हों। अनांबंधित राशि से व्यय का निर्णय करते समय महिला आरोग्य समितियों को निम्नलिखित प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए –

1. निर्धन रोगियों के लिए आपातकालीन सहायता करने हेतु।
2. स्वच्छता एवं पेयजल संबंधित कार्य हेतु।
3. मलेरिया, उल्टी दस्त व अन्य बीमारियों के रोकथाम के उपाय करने हेतु।
4. स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता संबंधित विषयों पर दीवार लेखन, फिल्म प्रदर्शन, रैली अथवा अन्य स्थानीय प्रचार हेतु।
5. स्वास्थ्य मेला/शिविर का आयोजन करने हेतु।
6. आंगनवाड़ी केन्द्रों में टीकाकरण सत्र/पोषण स्वास्थ्य दिवस में मदद हेतु।
7. निर्धन परिवारों में कुपोषित बच्चों के लिए सहयोग करने हेतु।
8. बेसहारा व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित सहयोग करने हेतु।
9. विकलांग व्यक्तियों को शासकीय सेवाओं से जोड़ने में सहयोग करने।

10. आकस्मिक/लघु खर्च (मासिक महिला आरोग्य समिति की बैठकों में चाय, बिस्कुट आदि की व्यवस्था–अधिकतम 100/–रू. प्रति माह) हेतु।

11. समिति बैठकों के लिए प्रशासनीक व्यय – रजिस्टर, दरी/चटाई आदि हेतु।

अनटाइड फंड से व्यय करने हेतु प्रक्रिया :–

महिला आरोग्य समिति की बैठक में इस राशि को खर्च करने के बारे में निर्णय लिया जाना है। विशेष परिस्थितियों में राज्य अथवा जिला स्तर से महिला आरोग्य समिति को किन्हीं खास गतिविधियों पर खर्च करने के सुझाव दिये जा सकते हैं, लेकिन इन पर कोई भी व्यय करने का अंतिम निर्णय महिला आरोग्य समिति के सदस्यों का ही होगा। निर्णय के लिये कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य सहमत होने चाहिए। सहमति के प्रस्ताव को पंजी में दर्ज किया जाना है। महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष को आवश्यक एवं तत्काल प्रकृति की गतिविधियों पर 2000/–रू. तक की धनराशि खर्च करने की अनुमति है किन्तु इस प्रकार किये गये व्यय के लिए समिति की अगली बैठक में समिति का कार्योत्तर अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। अनटाइड फंड से कोई भी व्यय समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना है। इस राशि को महिला आरोग्य समिति के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्तर पर मंगाया जाना प्रतिबंधित है। मितानिन प्रशिक्षक एवं क्षेत्र समन्वयक इस राशि के वाहक का कार्य नहीं करेंगे।

अनटाइड फंड का लेखा–जोखा रखना :–

1. महिला आरोग्य समिति द्वारा प्रत्येक व्यय को खर्च पंजी में दर्ज किया जायेगा (प्रारूप संलग्न)। प्रत्येक व्यय के लिए बिल अथवा पावती प्राप्त कर संधारित की जावेगी। पावती को खर्च पंजी में भी दर्ज किया जा सकता है।
2. महिला आरोग्य समिति से प्रत्येक तिमाही में व्यय प्रतिवेदन मितानिन प्रशिक्षक द्वारा एकत्रित किया जावेगा। इन्हें संकलित कर क्षेत्र समन्वयक द्वारा शहरी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को प्रस्तुत किया जावेगा (प्रारूप संलग्न)। व्यय प्रतिवेदन के आधार पर शहरी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा व्यय बुक किया जावेगा।
3. महिला आरोग्य समिति को साल में 2 बार वार्ड स्तरीय शहरी स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति की बैठक में अपनी गतिविधियों और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होगा।
4. महिला आरोग्य समिति प्रत्येक वर्ष पारा की आम सभा बुलाकर समिति द्वारा किये गये व्यय का सामाजिक अंकेक्षण करायेगी।
5. शहरी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत महिला आरोग्य समितियों का सैम्पल आडिट करवाया जावेगा। इस हेतु व्यय शहरी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रशासनिक व्यय मद से किया जावेगा।

महिला आरोग्य समिति व्यय प्रतिवेदन

महिला आरोग्य समिति का नाम .... वार्ड क्र. ....नगर................

अवधि – दिनांक................से ....तक

क्र.	उद्देश्य	गतिविधि का विवरण	व्यय राशि
1	स्वास्थ्य		
2	स्वच्छता		
3	पोषण		
4	प्रशासनिक व्यय		
5	अन्य		
कुल			

तिमाही में प्राप्त राशि ....

अध्यक्ष का हस्ताक्षर ....

अध्यक्ष का नाम ....

कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर ....

कोषाध्यक्ष का नाम ....